

न्यायालय दिवंगत कर्मिन्, जाधपुर
अध्यक्षता - लाल कुमार गुला, आई.ए.एस.

गुंडा नियंत्रण अपील संख्या 02/2018

अपीलान्तस बनाम स्येम्पडेन्स

कमलेश पुत्र श्री मदनलाल जाति
आचार्य, निवासी आचार्य का बास,
डाणी बाजार, बाडमेर, पुलिस थाना
कोतवाली, बाडमेर।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाडमेर।

गुंडा नियंत्रण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975
विरुद्ध आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या
04/2016 सं दिनांक 25.7.2017 को पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
- 2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता स्येम्पडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 26.2.2019

प्रस्तुत गुंडा नियंत्रण अपील प्रकरण के तथ्य साक्षिण सं इस प्रकार से है कि
अपीलान्त के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक बाडमेर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तमास पेश
कर अवगत कराया कि अपीलान्त के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली जिला बाडमेर में
राजस्थान पुलिस गैंगविंग के तहत वर्ष 2011 से 2016 के दरम्यान कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध
हो चुके हैं। तीनों प्रकरण में अर्थ दण्ड की सजा देकर रिहा किया गया। उक्त दर्ज प्रकरणों
में सजा दिये जाने पर अपीलान्त को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक
27.3.2018 के द्वारा राज0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड
(V) राजस्थान गुंडा अधिनियम 1975 के तहत गुंडा घोषित करते हुए अपीलान्त को 1 माह
की अवधि के लिये बाडमेर जिला की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस अधीक्षक, जालोर के
नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलार्थिन आदेश से व्यथित हो कर
अपीलान्त के द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय द्वारा के समक्ष
पेश की गई है।

हमने उपरिष्ठत अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अधीनान्त के अधिवक्ता ने निवेदन कि अधीनान्त पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है कि अधीनान्त के विरुद्ध राजस्थान गैम्बलिंग अधिनियम के तहत वर्ष 2011 से 2016 के दरम्यान कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं। पुलिस विभाग द्वारा अधीनान्त पर सिद्ध दोष मानते हुए अधीनान्त को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मानते हुए, जो समाज के विरुद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरुद्ध गण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाय। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा अधीनान्त को गण्डा घोषित करते हुए अधीनान्त को जिला बाडमेर की सीमाओं से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये जबकि अधीनान्त को धारा 3 के तहत नोटिस जारी होने से छः माह पूर्व एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाकर परिधीक्षा का लाभ देते हुए भर्त्सना देकर छोड़ा गया है। इसके अलावा अधीनान्त के विरुद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गण्डा घोषित किया जा सके। इस प्रकार बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनान्त वर्तमान समय में मजदूरी कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन थापन कर रहा है। अधीनान्त ने समाज की मुख्य धारा में जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया है। अधीनान्त के अच्छे प्रयास को देखते हुए अधीनान्त के प्रति सहानुभूति रखते हुए अधीनान्त को निरस्त किया जावे एवं अधीनान्त की अपील को स्वीकार किया जावे।

राज्य पक्ष रेस्पॉडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युत्तर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अधीनान्त के विरुद्ध विभिन्न समय में राजस्थान गैम्बलिंग अधिनियम के तहत जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा परिधीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए सजा भी पारित की गई है। अधीनान्त पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अधीनान्त एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध किये हैं, अतः अधीनान्त के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरुद्ध पारित किये गये अधीनान्त आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपरिष्ठत दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि अधीनान्त न्यायालय ने अधीनान्त को राजगण्डा अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अधीनान्त के द्वारा 3 वर्ष से पूर्व कारित किये गये हैं। राजस्थान गण्डा अधिनियम 1975- "गण्डा"

(ललित कुमार गुप्ता)
 दिल्लीजनल कमिश्नर,
 जलधर

को सर इजलास सुनाया गया।
 अपीलधीन आदेश दिनांक 27.3.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.2.2019 रबीकार की जाती है तथा न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के प्रकरण संख्या 4/2016 में पारित अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विवेचन के परिणाम स्वरूप अपील की अपील प्राधान्यों के विपरित होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
 अपीलधीन आदेश में पाया गया है। अतः अपीलधीन आदेश गुजरा अधिनियम में दिये गये गये प्राधान्यों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुजरा अधिनियम 1975 में दिये जा सके। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्त के वर्तमान चरित्र एवं हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुजरा घोषित किया हुए मर्दाना देकर छोड़ा गया है। इसके अलावा अपीलान्त के विरुद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज पूर्व एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाकर परिशीला का नाम देते वर्तमान प्रकरण में अपीलान्त को धारा 3 के तहत नोटिस जारी होने से छः माह विधि की दृष्टि में शून्य है।

परिभाषा— धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलधीन ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नहीं किया। प्रमाणिक विधि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किया जाते हैं। ऐसे मामलों में की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और